आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 654/इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2013-14

मे. स्पेस रिअलकॉन इंडिया प्रा.लि., इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त वृत्त 5 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएनसीएस 7258 क्यू		
अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन	
प्रत्यर्थी की ओर से	श्रीमती अशिमा गुप्ता, आयकर आयुक्त	
सुनवाई तिथि	19.06.2019	
उद्घघोषणा तिथि	03.07.2019	

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 13.02.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है । यह अपील 44 दिनों से कालबाधित है । इस संबंध में निर्धारिती द्वारा विलंब की माफी हेतु शपथपत्र दाखिल किया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि अपीलार्थी कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही है तथा उसका उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ फीस के संबंध में विवाद चल रहा है । अपीलार्थी कंपनी अधिग्रहित कार्यालय परिसर एवं वित्तीय संकट के कारण समय पर अपील दाखिल नहीं कर पायी तथा अपील दाखिल करने में 44 दिनों का विलंब हुआ । अतः उसने अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने का अनुरोध किया है । हमने पाया कि अपील दाखिल करने में विलंब तर्कसंगत कारण से हुआ था । अतः इस अपील दाखिल करने में विलंब को माफ किया जाता है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, हमने पाया कि अपीलार्थी ने अपील आधार में यह कथन किया है कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का परीक्षण किए बिना आक्षेपित एक पक्षीय आदेश पारित किया था । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदनों का खंडन नहीं किया ।

3. हमने हमारे समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि वर्तमान अपील में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने आदेश गुणागुण पर पारित नहीं किया था जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः, न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते हैं । यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष उपस्थित होने/ सहयोग करने का निदेश दिया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 03.07.2019 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 03.07.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल